संख्या-74/2018/2494/22-2-2017-17(133)/2013

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 18 जनवरी, 2018***

विषय: केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजा सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह निवासी जनपद-कानपुर नगर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34330/प्रोबे0-2(17)/(एम0-02.05.2017 दिनांक-21.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजा सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, जो ग्राम-राहा,थाना-घाटमपुर, जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। पूर्व में हुए झगड़े की रिपोर्ट लिखाये जाने को लेकर चल रही रंजिश व वरोठा बनाने को लेकर हुए विवाद में बंदी ने 12 सहअभियुक्तों के साथ दिनांक 08-06-1976 को प्रात: लगभग 08:00 बजे बन्दूक, लाठी, भाला, फरसा से हमला कर 01 व्यकित की हत्या की तथा 04 अन्य को घायल किया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-146/1977 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149,307/149 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुरनगर के आदेश दिनांक 11.09.1979 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.07.1996 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 29.01.2017 तक 20 वर्ष 00 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष 08 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। बन्दी के 06 सहअभियुक्त कारागार से रिहा हो चुके है, 05 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है, 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है लेकिन सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 01 व्यकित की हत्या करने एवं 04 व्यक्तियों को घायल करने का जगघन्य अपराध कारित किया गया। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजा सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी राजा सिंह (बन्दी संख्या-9873) पुत्र श्री मोहन सिंह निवासी जनपद-कानपुर नगर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-74/2018/2494/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in